(ख) यदि हां, तो उन्हें निर्धारित दरों पर मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). यह मामला मुख्यत: राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकारों को समय समय पर सलाह दी जाती रही है कि वे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी कार्रवाइयां करें। जो कार्रवाइयां की गई हैं, उनमें से कुछ ये हैं—प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाना, श्रम विभाग तथा राजस्व कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभागों के कर्मचारियों की भी सेवाओं का उपयोग करना तथा दावा प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना।

इस्पात मजूरी बोर्ड द्वारा रिफ्रेक्टरीज संयंत्र के लिये सिफारिश किए गये वेतनमान

*570. **श्री रामदास सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों के लिए रिफ्रेक्टरीज संयंत्र के श्रमिकों की मांग स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). संभवत: माननीय सदस्य का संकेत हिन्दुस्तान स्टील लि० के रामगढ़ स्थित ऊष्मसह कारखाने के श्रमिकों की उस मांग से है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भी वही वेतनमान मिलने चाहिएं जो कम्पनी के इस्पात कारखानों के श्रमिकों को मिलते हैं। यह एक ऐसा मामला है जो प्रबन्धकों और श्रमिकों द्वारा बातचीत से तय किया जाना है। 29 जून, 1977 को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मसह कारखाने के श्रमिकों को संशोधित वेतनमान और कुछ अन्य लाभ दिये गये हैं।

Diseases due to Pollution in Visakhapatnam

*571. SHRI DRONAMARAJU SATYANARAYANA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that on account of pollution from Hindustan Polymers of Visakhapatnam, people are getting ill and suffering from various diseases; and

(b) if so, the steps being taken to check this menace?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास की योजना

*572. **श्री युवराज** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अक्तूबर 1976 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह महसूस किया गया था कि बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास की वर्तमान योजना तथा गैर-योजना विकास योजनाएं अपर्याप्त हैं और केन्द्र से विशिष्ट एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करके पृथक् कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की गई हैं और केन्द्र से विशिष्ट एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करके

जो कार्यक्रम बनाया गया है उसकी रूपरेखा क्या है तथा यदि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). नवम्बर, 1975 में हुई सचिवों की बैठकों में यह निर्णय किया गया कि बन्धित श्रमिकों को कुछ वर्तमान चालू योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी जानी चाहिए, जैसे मकानों के लिए स्थानों का बटवारा और उन पर स्वामित्व के अधिकार देना, खेती के लिए भूमि का आर्वटन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा तथा होस्टलों में निःशुल्क रहने की सुविधाएं, कृषि-कार्यों/विकास के लिए ऋण तथा ब्याज की रियायती दरों पर ऋण। इस निर्णय की पुष्टि मार्च, 1976 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई जिसमें यह सिफारिश भी की गई कि राज्यों की योजनाएं बनाते समय इन राज्यों की वार्षिक योजनाओं में, मुक्त कराये गये बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त धन-व्यवस्था की जानी चाहिए। परन्तु, अक्तूबर, 1976 में हुए 28वें श्रम मंत्री सम्मेलन में श्रम मंत्रियों ने अभ्यावेदन किया कि मुक्त कराये गये बन्धित श्रमिकों को पुनः बसाने के लिए—विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां इस प्रकार के बन्धित श्रमिक विकेन्द्रित हैं—वर्तमान योजना और विकास संबंधी स्कीमें अपर्याप्त होंगी। इस मामले पर मार्च, 1977 में हुई सचिवों की बैठक में विचार किया गया और सभी बातों को ध्यान में रख कर यह सहमति हुई कि चूंकि अधिकांश राज्यों में पुनः बसाए जाने हेतु मुक्त कराये गये बंधित श्रमिकों की संख्या सापेक्ष रूप से कम है, इसलिए इस संबंध में किसी अतिरिक्त स्कीम की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु चूंकि बन्धित श्रमिकों को पुनः बसाने का महत्व निर्विवाद है, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च का वहन वर्तमान स्कीमों के अन्तर्गत करना चाहिए। परन्तु बाद में यदि यह पता लगे कि किन्हीं विशेष क्षेत्रों में कतिपय बन्धित श्रमिकों की वर्तमान स्कीमों के अन्तर्गत सहायता नहीं की जा सकी तो इस प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राज्यों की योजनाओं में, जिनमें नाना प्रकार की सम्बद्ध योजनाएं सम्मिलित हैं, अब पहले की अपेक्षा 30 अधिक परिव्यय की व्यवस्था है। परन्तु यदि कोई ऐसे मामले हों, जिनमें धन की कमी के कारण बन्धिक श्रमिकों के किसी अलग-अलग ग्रुप को पुनः बसाने में कठिनाइयां हों तो केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि धन की कमी के कारण पुनर्वास कार्य में कोई रुकावट न आये तथा कोई भी व्यक्ति बन्धित न रहे।

Appointment of Ambassadors, High Commissioners and Consuls General

*573. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any new appointments of the Indian Ambassadors, High Commissioners, Consuls General, etc. have been made since the Janata Party took office in March this year; if so, full facts thereof;

(b) the number of such vacant posts not yet filled;

(c) when will they be filled; and

(d) how—by career diplomats or from amongst the eminent people drawn from public life?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir. There have been 10 appointments of Heads of Mission since the present Government took office. They are in the